

	<p style="text-align: center;"><b>कार्यालय नगर निगम जयपुर ग्रेटर</b>          (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)</p>
क्रमांक:-	एफ-५( )कार्मिक/सा.प्र./ननिज/2021/५९ दिनांक:- ०६.५.२१

## कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार नगर निगम जयपुर में विभिन्न आदेशों द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकारों/स्थाई अधिवक्ता व अन्य अधिवक्ता को निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से समस्त पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकारों/स्थाई अधिवक्ता व अन्य को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में वह अपने प्रतिमाह मानदेय का बिल निदेशक विधि कार्यालय में पेश करना सुनिश्चित करें। निदेशक विधि द्वारा उक्त बिलों को प्रमाणित कर कार्मिक शाखा में भिजवाया जायेगा व कार्मिक शाखा द्वारा उक्त प्रमाणित बिलों के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावे।

— ४ —  
 (यज्ञ मित्र सिंहदेव)  
 आईएस  
 आयुक्त  
 नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, महापौर/उपमहापौर महोदय, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
4. उपायुक्त (कार्मिक), नगर निगम जयपुर ग्रेटर
5. निदेशक विधि, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
8. श्री..... एडवोकेट को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार भविष्य में आप अपना बिल दिनांक 16 से दिनांक 15 तक एक माह मानकर दिनांक 20 तक निदेशक विधि को पेश करना सुनिश्चित करें। बिल के अभाव में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
9. गार्ड फाइल

आयुक्त  
 नगर निगम, जयपुर ग्रेटर